



मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /02/2018

क्रमांक एफ 11-04/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.पी. सक्सेना, दन्त चिकित्सक, सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ द्वारा पारिवारिक एवं निजी कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. बी.पी. सक्सेना को दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

पृ० क्रमांक एफ 11-04/2018/सत्रह/मेडि-1,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक राजगढ़ म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ़, म.प्र.।
9. डॉ. बी.पी. सक्सेना; दन्त चिकित्सक, सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

34-0 (6)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

- :: संशोधन आदेश :: -

भोपाल, दिनांक /2/2018

क्रमांक /3522/2017/सत्रह/मेडि-1::विभागीय आदेश क्रमांक
2745/3522/2017/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 15.11.2017 द्वारा डॉ. ए.के. अरोरा, चिकित्सा
अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, दीनदयाल नगर जिा ग्वालियर की स्वैच्छिक से0नि0 दिनांक
15.03.2013 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 15.03.2015 अंकित की गई है।

2/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.11.2017 में डॉ. ए.के. अरोरा
की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तिथि 15.03.2013 पढ़े जाने का आंशिक संशोधन किया जाता
है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक 57/ /3522/2017/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 26/2/2018
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, म0प्र0।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर म.प्र.।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.।
 8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला ग्वालियर म.प्र.।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
 10. डॉ. ए.के. अरोरा, चिकित्सा अधिकारी, सिविल डिस्पेंसरी, दीनदयाल नगर जिला ग्वालियर।
 11. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

4 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 3 / 02 / 2018

क्रमांक एफ 11-01/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बी.बी.एस. दिखित, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, कटनी द्वारा पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. बी.बी.एस. दिखित को दिनांक 31.08.2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ० क्रमांक एफ 11-01/2018/सत्रह/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 3 / 02 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी म.प्र.।
 8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला कटनी म.प्र.।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कटनी, म.प्र.।
 10. डॉ. बी.बी.एस. दिखित, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, कटनी म.प्र.।
 11. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ 11-03/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नवल किशोर नेमा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. नवल किशोर नेमा को दिनांक 31.1.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11-03/2018/सत्रह/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना, म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना, म.प्र.।
10. डॉ. नवल किशोर नेमा, चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक /01/2018

क्रमांक एफ 11-02/2018/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. गणेश प्रसाद नेमा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सागर द्वारा स्वास्थ्य कारणों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर डॉ. गणेश प्रसाद नेमा को दिनांक 01.08.2016 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 30/01/2018

पृ० क्रमांक एफ 11-02/2018/सत्रह/मेडि-1,

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर म.प्र.।
 8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सागर म.प्र.।
 9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सागर, म.प्र.।
 10. डॉ. गणेश प्रसाद नेमा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सागर म.प्र.।
 11. स्टाक फाईल।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग